



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062021-227838
CG-DL-E-24062021-227838

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2314]
No. 2314]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 23, 2021/आषाढ़ 2, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 23, 2021/ASHADHA 2, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

का.आ. 2492(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1285(अ) दिनांक 23.03.2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 216 के कि.मी. 84.55 से कि.मी.124.2 (मचिलिपट्टनम - अवनीगुडा खंड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ी करण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "26.03.2021" को "विसाला आंध्रा(तेलुगु)" और "द हंस इंडिया (इंग्लिश)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 216 के कि.मी. 84.55 से कि.मी.124.2 (मचिलिपट्टनम - अवनीगुडा खंड) तक के भू-खण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना रहित संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: कृष्णा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मचिलिपट्टनम				
	गांव का नाम: बंदरु मचिलिपट्टनम (नगरपालिका)				
1	15/1A	निजी	बेट	0.0769	श्री सुदागनी अशोक (१५ / १ ए १)
2	15/1A	निजी	बेट	0.348042	वका साई कुमारी (१५ / १ ए २)
	गांव का नाम: सुल्ताननगरम गोल्लपालेम				
3	113/1	निजी	ड्राई	0.024282	श्रीमती . पेरनी जयसुधा व / ओ. वेंकटारम्मैया (११३ / १ ए २)
			कुल	0.4492	

[फा. सं. 37014/8/2013-NHDP-IVA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2021

S.O. 2492(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.No.1285(E) dated 23.03.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.216 on the stretch of land from Km. 84.55 to Km. 124.2 (Machilipatnam-Avanigadda Section) in the district of KRISHNA in the state of ANDHRA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Visala Andhra(Telugu)” and “The Hans India (English)” both dated 26.03.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 84.55 to Km. 124.2 (Machilipatnam-Avanigadda Section) of National Highway No. 216 in the district of KRISHNA in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: KRISHNA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Machilipatnam					
Village: Bandar Machilipatnam (M)					
1	15/1A	Private	WET	0.0769	Sri Sudagani Ashok 15/1A1
2	15/1A	Private	WET	0.348042	Vaka sai Kumari 15/1A2
Village: Sultannagaram Gollapalem					
3	113/1	Private	DRY	0.024282	Smt. Perni JayaSudha W/O. Venkatarammiah 113/1A2
			TOTAL	0.4492	

[F. No. 37014/8/2013-NHDP-IVA/3D]

RAJESH GUPTA, Director